ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

प्रो. वित्तरंजन मिश्र
Prof. Chittaranjan Mishra
कुलसचिव / Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661
फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 005/2015/प्र.स./2015-16/01/448

दिनांक: 14.07.2015

कार्यालयादेश

विश्वविद्यालय के छात्रावास विनियम, 2015 के अनुसार **चीफ वार्डेन** का कार्यभार कुलानुशासक को सौंपा जाता है। चीफ वार्डेन छात्रावास विनियम, 2015 के आलोक में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

(वित्तरंजन मिश्र)

संलग्नः *छात्रावास विनियम, 2015*

प्रतिलिपिः

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलानुशासक
4. कुलसचिव कार्यालय
5. समस्त छात्रावासों के वार्डेन
6. संयुक्त कुलसचिव (अकादमिक)
7. विशेष कर्त्तव्याधिकारी (परिसर विकास)
8. विश्वविद्यालय के समस्त विद्यापीठ, विभाग एवं केंद
9. वित्त विभाग
10. स्थापना एवं प्रशासन अनुभाग
11. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
12. संबंधित फाइल

छात्रावास विनियम, 2015

1. प्रत्येक छात्रावास का एक वार्डेन होगा जो छात्रावास के प्रबंधन, नियमन एवं प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा। छात्रावास वार्डेन का मनोनयन कुलपति द्वारा किया जाएगा।
2. सभी छात्रावासों के अधीक्षण के लिए एक चीफ वार्डेन होगा जिसका मनोनयन कुलपति द्वारा किया जाएगा। सभी छात्रावासों के वार्डेन उसके निर्देशन और देखरेख में कार्य करेंगे। किसी छात्रावास वार्डेन के अवकाश की स्थिति में उसका प्रभार चीफ वार्डेन द्वारा धारित किया जाएगा। छात्रावास वार्डेन के अवकाश आवेदन की स्वीकृति का अधिकार भी चीफ वार्डेन को होगा।
3. संपूर्ण विश्वविद्यालय परिसर की तरह ही छात्रावासों में भी अनुशासन और व्यवस्था वार्डेन और चीफ वार्डेन के सहयोग से कुलानुशासक के नियंत्रण में होगी।
4. छात्रावास संबंधी किसी भी प्रकार की परिवेदना होने पर कोई भी अंतेवासी अपना आवेदन वार्डेन/चीफ वार्डेन को प्रस्तुत करेगा। परिवेदना का निराकरण न होने की स्थिति में वह अपना आवेदन अधिष्ठाता, छात्र कल्याण को प्रस्तुत करेगा। अधिष्ठाता, छात्र कल्याण की अनुशंसा के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
5. किसी भी अंतेवासी के विरुद्ध यदि अनुशासनात्मक अथवा अन्य किसी प्रकार का प्रकरण प्रस्तावित होता है तो उसकी जाँच कर निर्णय संस्तुत करने के लिए समिति इस प्रकार होगी –
   i. कुलपति द्वारा नामित प्रोफेसर – अध्यक्ष
   ii. कुलानुशासक – सदस्य
   iii. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण – सदस्य
   iv. संबंधित विभागाध्यक्ष – सदस्य
   v. चीफ वार्डेन – सदस्य
   vi. संबंधित छात्रावास वार्डेन – सदस्य
   vii. सहायक कुलसचिव अथवा उच्च पदधारक अधिकारी – सचिव
6. छात्रावास में किसी भी विद्यार्थी को केवल एक अकादमिक सत्र के लिए कक्ष आबंटित किया जाएगा। दूसरे अकादमिक सत्र के लिए आबंटन हेतु वह पुनः आवेदन करेगा और इसके लिए पात्र होगा। ग्रीष्मावकाश में उसे छात्रावास खाली करना होगा। विशेष परिस्थिति में वार्डेन की संस्तुति पर चीफ वार्डेन द्वारा ग्रीष्मावकाश में छात्रावास में रहने की अनुमति दी जा सकेगी जिसके लिए उसे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दर से भुगतान करना होगा।
7. एम.फिल/पी-एच.डी.शोधार्थियों को संबंधित अध्यादेश के नियमानुसार छात्रावास खाली करने की व्यवस्था से मुक्त रखा जाएगा।
8. समान पाठ्यक्रम के लिए दुबारा छात्रावास में कक्ष आबंटन नहीं होगा।
9. किसी भी दशा में किसी भी अंतेवासी के लिए छात्रावास में कक्ष आबंटन की अधिकतम अवधि 7 वर्ष होगी। केवल डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा कर रहे विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा नहीं दी जा सकेगी।
10. छात्रावास में कक्ष आबंटन प्रत्येक अकादमिक सत्र में प्रवेश के उपरांत मेरिट के अधार पर किया जाएगा। मेरिट का निर्धारण विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा उसके द्वारा उत्तीर्ण अर्हताकारी परीक्षाओं के प्राप्तांकों के औसत को बराबर महत्त्व देते हुए किया जाएगा। छात्रावास हेतु आवेदन के लिए प्रवेश आवेदन में ही नियत कॉलम होगा।
11. छात्रावास आबंटन एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसका गठन इस प्रकार होगा–
    i. चीफ वार्डेन – अध्यक्ष
    ii. सभी छात्रावासों के वार्डेन – सदस्य
12. छात्रावास में किसी प्रकार की उद्दंडता, मद्यपान, धूम्रपान, मादक द्रव्य सेवन, कोई अन्य अपकृत्य करने अथवा किसी अन्य विद्यार्थी को उत्प्रेरित करने की दशा में वार्डेन संबंधित विद्यार्थी/विद्यार्थियों के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही हेतु चीफ वार्डेन के माध्यम से कुलानुशासक को अनुशंसा कर सकता है। आवश्यकता होने पर निलंबन के उपरांत अनुच्छेद 5 के अंतर्गत गठित समिति संबंधित प्रकरण की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की संस्तुति कर सकती है।
13. अनुच्छेद 12 की तरह ही रैगिंग में संलिप्त पाये जाने पर संबंधित विद्यार्थी/विद्यार्थियों के विरुद्ध प्रक्रिया अपनाकर कार्रवाई की जाएगी।

14. किसी भी अंतेवासी द्वारा छात्रावास में की गई तोड़-फोड़ अथवा संपत्ति को हानि पहुँचाने अथवा उपलब्ध करायी गई सुविधाओं का दुरुपयोग करने पर आर्थिक दंड के साथ-साथ उसके विरुद्ध अनुच्छेद 12 में प्रस्तावित प्रक्रिया से अन्य आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है।
15. छात्रावास में प्रवेश के समय प्रत्येक विद्यार्थी और उसके अभिभावक को रैगिंग निरोधक तथा सद्व्यवहार संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
16. बिना पूर्व अनुमति के छात्रावास से बाहर जाने की दशा में किसी प्रकार की दुर्घटना के लिए विद्यार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। इसी प्रकार बैंक ऋण अथवा किसी अन्य देनदारी के लिए भी विद्यार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। इस प्रकार के किसी प्रयोजन के लिए वह विश्वविद्यालय/छात्रावास के पते का उपयोग भी नहीं करेगा।
17. विश्वविद्यालय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर स्थापित है। अतः सभी छात्रावासों में उनके द्वारा स्थापित मूल्यों और आचार पद्धति, जिनमें अहिंसा, शांति तथा शाकाहार विशेष हैं, के अनुपालन की अपेक्षा की जाती है।
18. छात्रावास में मेस का संचालन/प्रबंधन स्वयं छात्रों के समूह द्वारा आनुक्रमिक पद्धति से किया जाएगा। मेस के कर्मचारी विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये जाएँगे। मेस परिचालन के लिए छात्रों द्वारा चुने गए समूह को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में पिछले माह के खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। **छात्रावास मेस की सुरक्षा राशि के निर्धारण के संबंध में छात्रावास के अधिकारियों और विद्यार्थियों की परस्पर सहमति से निर्णय लिया जाएगा।** प्रतिमाह विद्यार्थी को मेस संचालन के लिए नियत अग्रिम राशि वार्डेन के माध्यम से बैंक खाते में जमा करानी होगी। मेस संचालन समिति को आवश्यक खर्च के लिए भुगतान चेक से किया जाएगा।
19. फादर कामिल बुल्के अंतरराष्ट्रीय छात्रावास में रहने वाले विदेशी विद्यार्थियों/अतिथियों के लिए प्रबंधन (मेस सहित) का उत्तरदायित्व, अनुबंध के अधीन अथवा यथास्थिति, वार्डेन का होगा।
20. किसी भी छात्रावास से संबंधित बैंक खाते का परिचालन चीफ वार्डेन तथा संबंधित वार्डेन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
21. छात्रावास विनियम-2015 में जो उल्लिखित नहीं है, उन सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।